

(265)

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

जयपुर दिनांक 3/3/99

जयपुर दिनांक

16 OCT 2003

संशोधन

इस विभाग आदेश द्वारा जारी समसंख्यक आदेश दिनांक 04/10/2002 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :-

1. आदेश के प्रथम पैरा में अंकित दिनांक "26/05/2002" के स्थान पर "26/05/2000" पढ़ा जाए।
2. आदेश के बिन्दू 1 में अंकित शब्द "अतिरिक्त 30/- रु." के पश्चात् एवं शब्द "लिए जाकर" के पूर्व "प्र.व.गज" जोड़ा जाता है।

भवदीय

(एस. ए. फारुकी)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, गृह मंत्री, राजस्थान सरकार।
2. विशिष्ट सहायक, वित्त मंत्री, राजस्थान सरकार।
3. विशिष्ट सहायक, नगरीय विकास मंत्री, राजस्थान सरकार।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार।
5. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, वित्त विभाग।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव(प्रथम), मुख्यमंत्री जी।
7. निजी सचिव, शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग।
8. निजी सचिव, सचिव(द्वितीय), मुख्यमंत्री जी।
9. आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
10. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान सरकार।
11. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर।
12. सचिव, नगर विकास न्यास (समस्त), राजस्थान।

(265)

(एस. ए. फारुकी)
शासन उप सचिव